भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4549
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

†4549. श्री राजीव रायः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत मऊ जिले में समर्थित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत ऋणों और वितरित सब्सिडियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिले में किसी कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अथवा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों को समर्थन प्रदान किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मऊ जिले में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कोल्ड चेन घटकों के अंतर्गत किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी मूल्यांकन में उक्त जिले में पीएमएफएमई लाभार्थियों को प्रभावित करने वाली कौशल अथवा ऋण संबंधी कमियों की पहचान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क तथा निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 218 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 9.72 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत दो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तथापि, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मऊ जिले में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कोल्ड चेन घटकों के अंतर्गत किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ): मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएफएमई योजना के लिए तीसरे पक्ष का मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया है। मूल्यांकन ने कौशल विकास को बढ़ाकर और ऋण तक पहुंच में सुधार करके सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को और मजबूत करने के अवसरों पर प्रकाश डाला है। मंत्रालय योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स (डीआरपी) द्वारा हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत बैंकों के साथ ऋण लिंकेज की सुविधा और इन्क्यूबेशन और सामान्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करके इन कमियों को दूर कर रहा है। इन अन्तःक्षेपों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मऊ जैसे जिलों में उद्यमियों के कौशल में सुधार करना और औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है।

(ङ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के घोसी सहित पूरे देश में मौजूदा इकाइयों को उन्नत करने या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये के अनुदान के साथ 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना एसएचजी / एफपीओ / सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी सामान्य अवसंरचना के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, एसएचजी को प्रारम्भिक पूंजी, इन्क्यूबेशन सेंटर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है।
पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के घोसी सहित देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने योजना की शुरुआत से ही विभिन्न हितधारकों और सामान्य जनता के बीच इसके उपयोग को बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियानों जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल, प्रदर्शनियां और एक्सपो, मेले, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि के माध्यम से विभिन्न पहलें / प्रमुख कदम उठाए हैं।

अनुबंध

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर के लिए " पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4549 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

(i). *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ को अधिकतम 4 लाख रुपये तक।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ ,एसएचजी , सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 35% की दर से 3 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साझा अवसंरचना की पर्याप्त मात्रा का उपयोग अन्य इकाइयों और आम जनता द्वारा किराये के आधार पर भी उपयोग किया जा सकेगा।

(iv) *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता :* समूह, एफपीओ /एसएचजी /सहकारी समिति समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाता है।

(v). *क्षमता निर्माण:* योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।
